न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज
जिला पूर्वी चम्पारण।
बंटवारा वाद संख्यI–411/2008
सीआईएस 1135.18
दिनांक 04.01.2024

दिनांक 04.01.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा दिनांक 21.11.2022 को रिसीवर की नियुक्ति हेतु लाये गये आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी का कथन है कि शिवकुमार यति जो वादी सं0 01 और 02 के पिता हैं और वादी सं0 03 के पति हैं अपनी पत्नी के रहते हुए एक अवैध संबंध में रीना देवी नामक महिला के साथ रहते हैं और उन्होंने वादियों का किसी तरह से ध्यान नहीं रखा है और बहुमूल्य संपत्ति को स्थानांतरित कर रहे हैं । शिवकुमार यति ने अपने लिखित कथन के पैरा 10 में यह बात 25 लाख रुपये देने की बात गलत कही है तथा वाद सं0 303/11 जो लोक अदालत से सुलह हो गया और जिसके द्वारा शिव कुमार यति को प्लाट न0 2041 और 2042 पर दो कठ्ठा भूमि आवंटित की गयी। यह कि शिव कुमार यति ने उस जमीन पर 25 लाख रुपये लोन लिया और उस पर बाजार और दुकान बनायी जिसका किराया रीना देवी वसूल करती हैं यह कि इस वाद के संस्थित होने के पश्चात शिवकुमार यति ने अन्य प्रतिवादियों के साथ मिलकर जाली पेपर बनाया और अन्य पटीदार के साथ मिलकर सिनेमा हॉल की समस्त आय और समस्त कृषि भूमि की आय को लिया । यह कि वाद पत्र के आवलोकन के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि प्लाट न0 2024, 2025, 2026 पर आवासीय मकान बने हुए हैं और प्लाट न0 2041, 2042 पर सिनेमा हॉल तथा बाजार है । यह कि शिवकुमार यति ने यह बात गलत रूप से कही है कि बाजार और कमरे रीना देवी ने बनवाया है । यह कि लिखित कथन से स्पष्ट है कि शिवकुमार यति रीना देवी के साथ अपने पत्नी से तलाक लिए बिना अवैध रूप से रह रहे हैं और यह भी स्पष्ट है कि रीना देवी दुकान और बाजार का कीराया वसूल कर

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज
जिला पूर्वी चम्पारण।
बंटवारा वाद संख्यT–411/2008
सीआईएस 1135.18
दिनांक 04.01.2024

रही हैं । यह कि शिवकुमार यति का उद्देश्य बहुमूल्य संपत्ति, किराया तथा अन्य वस्तुओं को कब्जा करना है शिवकुमार यति और अजय कुमार यति ने बिना किसी कारण के सिनेमा हाल नष्ट कर दिया। जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति हुई है। यह कि वादीगण फूटपाथ पर हैं यह कि शिवकुमार यति अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है इस वजह से वादीगण अपनी मामा के यहां रहते हैं यह कि अवैध रूप से वाद के लंबित रहने के दौरान सिनेमा हाल को गिरा दिया गया है तथा वादीगण को विवादित संपत्ति पर प्रथम दृष्टया मामला हासिल है और सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में हैं यह कि संपत्ति में वादीगण सहभागीदार हैं अतः मामले में न्यायालय से निवेदन है कि समस्त बहुमूल्य संपत्ति को संरक्षित एवं बाजार एवं दुकानों के किराए संग्रहित करने तथा उनके प्रबंध हेतु वादपत्र के अनुसूची 2 में वर्णित संपत्ति के प्रबंधन हेतु रिसीवर की नियुक्ति करने की कृपा करें।

प्रतिवादी सं0 1 श्वेताम्बर यति की तरफ से न्यायालय में दिए गए प्रतिउत्तर में कहा गया है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी की स्वअर्जित जमीन को भी अपने वाद में सम्मिलित कर लिया है । यह कि स्वत्व वाद 520/08 अजय कुमार यति द्वारा श्वेताम्बर यति के विरुद्ध सब जज 1, मोतिहारी के न्यायालय में दाखिल हुआ था जिसका फैसला दिनांक 30.03.2009 को अजय यति के पक्ष में हुआ था । जिसमें मौजा अरेराज की खाता न0 169 खेसरा न0 2041 की 0.15.13 वो भी खाता न0 219 खेसरा न0 2042 की 0.2.0 और खेसरा न0 2041 और खेसरा न0 2042 की 0.8.16 जमीन मय सिनेमा हॉल थी। यह कि अजय कुमार यति ने शिवकुमार यति के विरुद्ध वाद सं0 303/2011 दाखिल किया था जो पक्षकारों के बीच सुलह हो गया और खेसरा न0

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज
जिला पूर्वी चम्पारण।
बंटवारा वाद संख्यT–411 / 2008
सीआईएस 1135.18
दिनांक 04.01.2024

3.

2041 की 0.6.6½ जमीन अजय कुमार यति को मिली और खेसरा न0 2041 की 0.0.17 जमीन व खेसरा न0 2042 की 0.1.3 कुल 0. 2.0 जमीन शिवकुमार यति को मिली जिस जमीन का फैसला स्थायी लोक अदालत द्वारा हो गया और उसका पंचाट भी बन गया है लिहाजा उस जमीन पर रिसीवर बहाली का प्रश्न ही नहीं उठता । यह कि जिस जमीन के निश्वत शिवकुमार यति के समक्ष न्यायालय से फैसला हो गया है उस जमीन के निश्वत शिवकुमार यति के उत्तराधिकारियों द्वारा मुकदमा लाने का कोई औचित्य नहीं है । शिवकुमार यति की जो जमीन थी उसी के निश्वत उत्तराधिकारियों को वाद लाने का हक है अतः प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाए।

वादीगण के आवेदन के विरुद्ध प्रतिवादी सं0 02 शिवकुमार यति के द्वारा दिए गए प्रतिउत्तर के अनुसार प्रस्तुत मामले में हर तिथि पर कोई न कोई आवेदन दिया जा रहा है यह कि प्रतिवादीगण ने अपने बयान तहरीरी में ही स्वअर्जित भूमि एवं बंटवारा से प्राप्त भूमि का ब्यौरा दिया है । यह कि खेसरा न0 2024, 2025, 2026 पर जो आवासीय मकान बना है वह लोन से बनाया गया है इस तरह से पैतृक आवास में पुत्र का कोई हक नहीं है उसी तरह खेसरा न0 2041 व 2042 अजय यति के हिस्से में है । खेसरा न0 2041 और 2042 में निर्मित बाजार रीना देवी का है जिसे उन्होंने प्रतिवादीगण से करार के तहत लेकर निर्मित कराया है और उसका भाड़ा रीना देवी वसूल करती हैं यह कि करार बहाल है और उस बाजार पर प्रतिवादीगण का हक नहीं है अतः वादीगण का आवेदन खारिज करने की कृपा करें।

उभय पक्षों की बहस को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया । न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों का

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज
जिला पूर्वी चम्पारण।
बंटवारा वाद संख्या—411/2008
सीआईएस 1135.18
दिनांक 04.01.2024

अनुशीलन किया तत्पश्चात न्यायालय **व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 40 नियम 1 का अवलोकन करती है जिसके अनुसार :—**

जहां न्यायालय को यह न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होता है वहां न्यायालय आदेश द्वारा—

(क) किसी संपत्ति का रिसीवर चाहे डिकी के पहले या पश्चात नियुक्त कर सकेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर से किसी व्यक्ति का कब्जा या अभिरक्षा हटा सकेगा।

(ग) उसे रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबन्ध के सुपुर्द कर सकेगा, तथा

(घ) वादों के लाने और वारों में प्रतिरक्षा करने के बारे में संपत्ति के आपन, प्रबन्ध, संरक्षण, परिरक्षण और सुधार उसके भाटकों और लाभों के संग्रहण, ऐसे भाटकों और लाभों के उपयोजन और व्ययन तथा दस्तावेजों के निष्पादन के लिए सभी ऐसी शक्तियां जो स्वयं स्वामी की हैं, या उन शक्तियों में से ऐसी शक्ति जो न्यायालय ठीक समझे, रिसीवर को प्रदत्त कर सकेगा।

(2) इस नियम की किसी भी बात से न्यायालय को यह प्राधिकार नहीं होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का संपत्ति पर से, कब्जा या अभिरक्षा हटा दे जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार वाद के किसी भी पक्षकार को नहीं है।

प्रस्तुत मामले में वादी की तरफ से प्रधान न्यायाधीश मोतिहारी के न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2008 को पारित आदेश की सत्यापित प्रति एवं **मोहन जी पाठक बनाम बिहार राज्य सीडब्ल्यूजेसी न0. 8734/2008 दिनांक 25.10.**

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज
जिला पूर्वी चम्पारण।
बंटवारा वाद संख्या I–411 / 2008
सीआईएस 1135.18
दिनांक 04.01.2024

5.

2013 में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गयी है। मामले में प्रधान न्यायाधीश मोतिहारी के दिनांक 25.06. 2008 को पारित आदेश में कहा गया है कि रजिस्ट्री कार्यालय मोतिहारी तथा रजिस्ट्री कार्यालय अरेराज, को निर्देश दिया गया है कि शिवकुमार यति और उनके पिता द्वारा किसी भी तरह भूमि के स्थानांतरण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । प्रस्तुत मामले में प्रतिवादीगण द्वारा स्वत्व वाद 520 / 08 के एक पक्षीय आदेश की छायाप्रति, स्थायी लोक अदालत के आदेश बंटवारा वाद सं0 303 / 2011 के दिनांक 18.11.2011 के आदेश की पक्का नकल की फोटोकापी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गजट की फोटोकॉपी, पट्टा विलेख जो कि शिवकुमार यति द्वारा रीना देवी के नाम लिखा गया है की छायाप्रति न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत वाद न्यायालय में दिनांक 03.09.2008 को प्रस्तुत किया गया । वाद में एक बार पूर्व भी रिसीवर की नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया था जिसे संचालित न करने के कारण दिनांक 21.11.2022 को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। समस्त दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय **माननीय प्रधान न्यायाधीश मोतिहारी के द्वारा अपने दिनांक 25.06.2008 के आदेश को जब देखती है तो उसमें स्पष्ट रूप से आदेशित है कि शिवकुमार यति और उनके पिता को किसी भी तरह की जमीन को बेचने एवं स्थानांतरित करने से रोक दिया गया है और उस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय मोतिहारी एवं रजिस्ट्री कार्यालय अरेराज को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि शिवकुमार यति और उनके पिता के द्वारा कोई भी संपत्ति का स्थानांतरण या विक्रय नहीं किया जा सकेगा।**

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज
जिला पूर्वी चम्पारण।
बंटवारा वाद संख्या I–411 / 2008
सीआईएस 1135.18
दिनांक 04.01.2024

6.

प्रस्तुत मामले में प्रतिवादियों ने जो भी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं उन्हें देखकर स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि वे न्यायालय के आदेश के बावजूद भी संपत्ति का स्थानांतरण एवं पट्टा आदि करते रहे हैं जहां स्थायी लोक अदालत में अजय कुमार यति और शिवकुमार यति के मध्य हुए समझौते की बात है ऐसा प्रतीत होता है कि लोक अदालत को मामले में वास्तविकता की जानकारी पक्षकारों द्वारा नहीं दी गयी । जहां तक वाद सं0 303 / 2011 की बात है वह प्रस्तुत वाद के विचाराधीन रहने के दौरान आदेशित किया गया है और पूर्व से ही माननीय प्रधान न्यायाधीश मोतिहारी का आदेश पहले से ही प्रभावी था जिसे पक्षकारों ने जानबूझकर लोक अदालत से छिपाकर पंचाट हासिल कर लिए। प्रस्तुत मामले में न्यायालय आदेश 40 नियम 1 विभिन्न खंडो का अवलोकन करती है वहां न्यायालय की राय में यह स्पष्ट है कि जिस तरह से प्रस्तुत वाद के लंम्बित रहने के दौरान समस्त स्थानांतरण, लोन, तथा अन्य आदेश किसी भी तरह से प्राप्त कर लिए गए है ऐसा प्रतीत होता है कि यदि न्यायालय मामले में उचित न्यायसंगत कदम नहीं उठाएगी तो इससे विवादित संपत्ति के स्वरूप में परिवर्तन होता रहेगा । जहां तक स्वत्व वाद जो कि **सबजज 1 के न्यायालय द्वारा पारित है उसके संबंध में वह आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया गया है अतः उस आदेश के आलोक में जो भी डिक्री खाता सं0 169, 219 खेसरा न0 2041, 2042 का रकवा 0.8.16½ के संबंध में पारित की गयी है,** उसको छोड़कर प्रस्तुत न्यायालय वाद सं0 411 / 2008 के लंम्बित रहने के दौरान किये गये समस्त संव्यवहारों चाहे वे किसी भी प्रकृति के हो उन पर प्रापक की नियुक्ति का आदेश देती है और **रिसीवर के रूप में अंचलाधिकारी अरेराज**

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज
जिला पूर्वी चम्पारण।
बंटवारा वाद संख्या I–411 / 2008
सीआईएस 1135.18
दिनांक 04.01.2024

को नियुक्त करती है, तथा उन्हें यह निर्देश देती है कि वह वाद सं0 411 / 2008 की समस्त संपत्ति के संबंध में प्रत्येक मास की एक तारीख को किराया तथा संपत्ति से होने वाली आय आदि के संबंध में न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। मामले में रिसीवर को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह समस्त भाटकों और लाभों के उपयोजन और व्ययन के संबंध में वह समस्त शक्ति रखेगा जो कि विवादित संपत्ति के स्वामी को है साथ ही साथ न्यायालय वादीगण तथा प्रतिवादीगण को निर्देश देती है कि प्रस्तुत मामले में समस्त कार्रवाई आदेश के दिनांक से एक वर्ष के भीतर पूर्ण करें तथा उभय पक्ष मामले के निष्पादन में न्यायालय का सहयोग करें। प्रस्तुत मामले में कार्यालय को भी निर्देश दिया जाता है कि मामले में इस वाद में कोई भी तिथि सात कार्य दिवस से अधिक की न रखे । न्यायालय के आदेश से रिसीवर को अवगत कराये जाने का भी निर्देश दिया जाता है । **प्रस्तुत आदेश एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।** इस आदेश से **खाता सं0 169, 219 खेसरा न0 2041, 2042 का रकवा 0.8.16½ में डिकीत संपत्ति को बाहर रखे जाने का भी आदेश दिया जाता है इस प्रकार से वादीगण के आवेदन को व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 40 नियम 1 तथा धारा 151 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत किया जाता है।**

स्थानः अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
दिनांक 04.01.2024

लेखापित व संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।